कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 68 / FP/UK/ROAD/9917/2015 :देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/277/2015/एफ0सी0/1356 दिनांक 03.10.2018।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–3223/12–1(2) दिनांक 22.05.2023 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.96 हे0 ग्राम आमनी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया हैं कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17,18,19 में अवनत भूमि का चयन किया गया है। भारत सरकार के स्तर से निर्गत सैद्धान्तिक सवीकृति में त्रुटिवश क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का नाम आमनी सिविल 9.96 हे0 दर्शाया गया है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय की पत्र संख्या 1458/12–1 दिनांक 29.11.2022 से पत्राचार भी किया गया है। चूंकि क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है तथा वन विभाग के स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है। (संलग्न संख्या –1, 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है। (संलग्न संख्या –3,5, 6, 7)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रदत्त एन0 पी0 वी0 वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न संख्या –4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित करे कि जमा कि गयी सभी निधियां (CA cost, NPV tec.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि दिनांक 05.03. 2019 को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। (संलग्न– 6, 7)

	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देखरेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रदत्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न संख्या –8)
6	State Govt. will submit hard copy of check list, Part I to V and FRA certificate for revise area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रदत्त check list, Part I to V and FRA certificate for revise area की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न–9.1 से 9.7)
7	State Govt. will submit scheme for planting 8000 trees in a lieu of 8.00 ha falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08.11.2017.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 8.00 हे0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव संलग्न है। (संलग्न–10.1 से 10.3)
अन्य शर्ते		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–11)
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुयी दरों पर एन0पी0वी0 देने को बाध्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने को बाध्य होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–12)
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.96 है0 ग्राम आमनी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अंदर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। तथा नोडल अधिकारी द्वारा सूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17, 18, 19 में 9.96 है0 अवनत भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–13)
4	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–14)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–15)
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–16)
7	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपाास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–17)
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया

	को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–18)
9	कम से कम वृक्षों का कटान – पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो।	प्रस्तावक विभाग एंव प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कम से कम वृक्षों का कटान – पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–19)
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centrel verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय वन विभाग कि देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centrel verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय वन विभाग कि देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–20)
11	परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–21)
12	यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–22)
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न–23)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
13/07/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 68 / FP/UK/ROAD/9917/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–3223/12–1(2) दिनांक 22.05.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,